महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – सत्तरवां संस्करण (माह अक्टूबर, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक
3. पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ
4. स्व–कराधान में पंचायत की पहल
5. ''पीआरआई–एसएचजी कनवरजेंस'' विषय पर वेबिनार का आयोजन
6. पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर) में ग्राम सभा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
7. जलवायु परिवर्तन
8. ग्राम पंचायत निनौरा की कामधेनू गौशाला
9. चिकित्सा की प्राचीन पद्धतिः आयुर्वेद
10. स्व–सहायता समूह की जलसखी
11. मनरेगा से निर्मित गौशाला
12. खैरी ग्राम पंचायत में वरदान बना स्टापडेम निर्माण
13. जिला नरसिंहपुर ग्राम पंचायत आमगॉव बड़ा की सफलता की कहानी

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार	प्रधान संपादक
श्री उमाकांत उमराव (IAS) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,

उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का सत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का दसवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में दिनांक 24 सितंबर 2021 को माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर की 21वीं शासक मंडल की बैठक मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित की गई, जिसे **''माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक''** एवं पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ दिनांक 30 सितम्बर 2021 को किया, जिसे **''पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ''** समाचार आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण गतिविधि **''पीआरआई–एसएचजी कनवरजेंस विषय पर वेबिनार का आयोजन''** को समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''स्व–कराधान में पंचायत की पहल''**, **''पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर) में ग्राम सभा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व''**, **''जलवायु परिवर्तन''**, **''ग्राम पंचायत निनौरा की कामधेनू गौशाला''**, **''चिकित्सा की प्राचीन पद्धतिः आयुर्वेद''**, **''स्व–सहायता समूह की जलसखी''**, **''मनरेगा से निर्मित गौशाला''**, **''खैरी ग्राम पंचायत में वरदान बना स्टापडेम निर्माण''** एवं **''जिला नरसिंहपुर ग्राम पंचायत आमगॉव बड़ा की सफलता की कहानी''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक

दिनांक 24 सितंबर 2021 को माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर की 21वीं शासक मंडल की बैठक मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व से निर्धारित एजेंडे अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि पीआरआई एसएचजी अभिसरण एवं स्व–सहायता समूह की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं तथा इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायत राज मंत्रालय को भेजा जावे।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान से समृद्धि (नवास) पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि लघु एवं सीमांत कृषकों जो कि महंगी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते उनके लिए कम लागत की टेक्नोलॉजी जो कि ज्यादातर लघु एवं सीमांत किसान उपयोग करते हैं, को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जाए।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान के शासक मण्डल की 21वीं बैठक दिनांक 24 सितंबर, 2021 को माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में वल्लभ भवन, भोपाल में आयोजित की गई।

इस बैठक में प्रशिक्षण तथा संस्थान के अन्य प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गये। बैठक में श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री आलोक कुमार सिंह, संचालक, पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद थे।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ

पंचायती राज मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ दिनांक 30 सितम्बर 2021 को किया। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायत जमीनी लोकतंत्र का केंद्रीय बिंदु हैं। पंचायतों की ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में अहम भूमिका है।

केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021– सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए योजनाओं की तैयारी को जन योजना अभियान– 2021 पर एक बुकलेट और ग्रामोदय संकल्प मैगजीन के 10वें संस्करण का भी विमोचन किया।

शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायत जमीनी लोकतंत्र का केंद्रीय बिंदु हैं। देश भर में 31.65 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14.53 लाख महिलाएं हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। पंचायतों की ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में अहम भूमिका है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल के जन योजना अभियान को बेहतर जन भागीदारी के साथ चलाया जाना चाहिए और सहभागी योजना के भाग के रूप में होने वाली प्रत्येक गतिविधि से गांवों के सर्वांगीण विकास के सामान्य लक्ष्यों के लिए सभी नागरिकों के बीच सौहार्द और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह हम सभी का दायित्व है कि देश की हर पंचायत को सोची–समझी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे गांव आगामी वर्ष में समावेशी और स्थायी विकास हासिल कर सकें।"

श्री गिरिराज सिंह ने सार्थक और जवाबदेह ग्राम सभाओं की तत्काल जरूरत, धन के सही इस्तेमाल, पंचायतों द्वारा खुद के स्रोतों से राजस्व जुटाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को दूर करने, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत सभी प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध सभी संसाधनों के मिलन और महिला सशक्तिकरण व आय पैदा करने वाली गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए

पंचायत–महिला स्वयं सहायता समूहों के मेल को मुख्यधारा में लाने पर भी जोर दिया।

केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री श्री कपिल पाटिल ने सुझाया कि पंचायतों की आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए पंचायतों को आवंटित धन से संपत्ति का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने ग्राम सभाओं को और ज्यादा जीवंत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए और लोगों के मन में भरोसे और आत्मविश्वास की भावना पैदा की जाए। ग्राम सभा को मजबूत करना, देश में लोकतंत्र की रीढ़ को मजबूत करने के बराबर है।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बात पर जोर दिया कि जन योजना अभियान के तहत पंचायतों की विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सभी मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये भी जरूरी है कि गांवों में विकास कार्यों को अपने संसाधनों से कराने पर भी ध्यान दिया जाए।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही तमाम योजनाओं के उचित मेल की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं के मेल से ग्राम पंचायत विकास योजनाएं कैसे तैयार की जाती हैं, इस पर आने वाले दिनों में सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 से सभी राज्यों में जन योजना अभियान शुरू किया जा रहा है और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों ने इस अभियान में सक्रिय समर्थन और भागीदारी का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड–9 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, जन योजना अभियान को कोविड–19 प्रोटोकॉल / दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुचारू रूप से चलाया गया था। उन्होंने कहा, "ये बड़े सुकून की बात है कि बीते साल 2.56 लाख पंचायतों ने अपने जीपीडीपी को जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किया था। हमें भरोसा है कि इस साल भी 100: पंचायतें जन योजना अभियान में भाग लेंगी। आज एक जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है और ये डैशबोर्ड ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक, निर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधियों की पूरे साल बैठक के जरिए अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा।"

संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने जन योजना अभियान–2021 पर विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान जन योजना अभियान, योजना प्रक्रिया, पिछले अभियानों से सीख, एमओपीआर के हस्तक्षेप और पहल, उपलब्ध संसाधन, क्षमता निर्माण और पंचायतों को समर्थन के अनूठे तत्वों पर प्रकाश डाला गया।

अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। देश में ग्राम पंचायतों की संख्या को

देखते हुए यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला आदि समाज के कमजोर वर्गों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पंचायत विकास योजना का उद्देश्य प्रभावी ग्राम सभा में डीएवाई–एनआरएलएम के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और एसएचजी महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी कार्यक्रमों का जनसूचना अभियान चलेगा।

संरचित ग्राम सभा की बैठकें 2 अक्टूबर 2021 – 31 जनवरी 2022 तक आयोजित होंगी, जिसमें 29 क्षेत्रों – कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं / पर्यवेक्षकों द्वारा भौतिक उपस्थिति और लघु उद्योग, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव पर प्रस्तुति होगी।

बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री अजय तिर्की, सचिव, भूमि विभाग संसाधन, श्री इंदेवर पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, श्री सुधांशु पांडे, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ राज्यों के प्रमुख सचिवों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और लाइन विभागों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और शुभारम्भ सत्र का सजीव प्रसारण देखा।

(साभार : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1759742)

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

स्व–कराधान में पंचायत की पहल

अपना विकास आप कराये।
जन जन मे यह भाव जगाये।
हाथ है अपनी डोर ,
ले जा इसे चाहे जिस ओर।
शासन स्त्रोत व जन सहयोग।
पंचायत आय कुल करलो योग।
जोड़ी यह सब बिधि।
कहलाई पंचायत निधि।
उत्साह जगा कर फीस लगा।
विश्वास दिला न देगा दगा।
देखना लोग स्वयं खड़े होंगे।
प्रयास तुम नहीं वो खुद करेंगे।

आर.पी. खरे, संकाय सदस्य

''पीआरआई–एसएचजी कनवरजेंस'' विषय पर वेबिनार का आयोजन

स्व–सहायता समूहों एवं ग्राम संगठन द्वारा अपने–अपने ग्रामों का ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (व्लेज लेविल पावर्टी रिड्यूशन प्लान ''व्हीपीआरपी'') तैयार कर ग्राम सभा में प्रस्तुत की जावेगी। जिसे ग्राम सभा में अनुमोदन से जीपीडीपी में समाहित करते हुये अंतिम रूप दिया जावेगा। ग्राम पंचायत एवं स्व–सहायता समूहों के अभिसरण से व्यवहारिक जीपीडीपी तैयार हो सकेगी।

अभिसरण के लिये जरूरी है कि ग्राम पंचायत के सरपंच–प्रशासकीय समिति के प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी हो एवं स्व–सहायता समूहों को जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी हो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।

इसी श्रंखला में संस्थान द्वारा माह–सितम्बर 2021 में पंचायतराज संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूहों के अभिसरण (पीआरआई–एसएचजी कनवरजेंस) विषय पर ऑनलाईन 09 प्रशिक्षण बैच आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में जिला पंचायत रीवा की जनपद पंचायत रीवा एवं रायपुर–कर्चुलियान, के 448 प्रतिभागियों ने ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण में स्व–सहायता समूह के पदाधिकारी, सदस्य ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी, एसआरएलएम सीआरपी, एसआरएलएम ब्लाक मैनेजर, प्रोजेक्ट फेसलिटेशन टीम–पीएफटी मेम्बर, ग्राम पंचायत सरपंच/ग्राम पंचायत प्रशाकीय समिति प्रशासक, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत समन्वय अधिकारी–पीसीओ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी प्रतिभागियों के रूप में शामिल हुये।

सत्रारम्भ अवसर पर संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया गया। प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुये

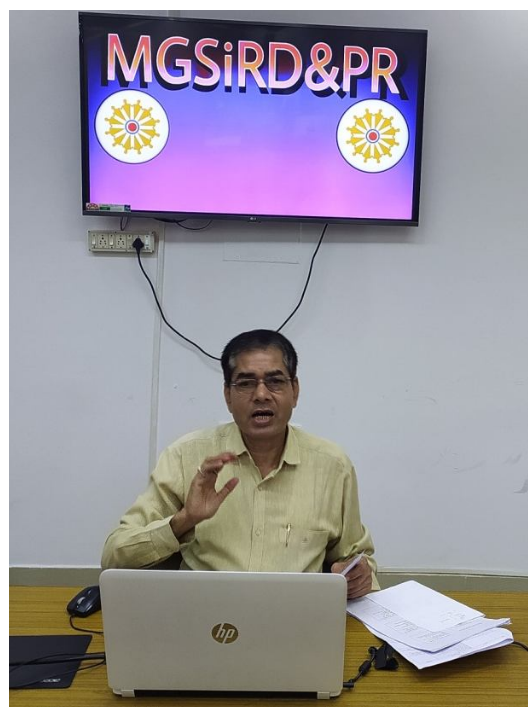

संचालक महोद्य द्वारा पंचायतराज संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूहों की योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया का महत्व बताया। चर्चा के दौरान इन्होंने अपने कार्य में कौशल, जनभागीदारी, पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में पंचायतराज संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूहों/ सामुदायिक संगठनों का अभिसरण की अवधारणा, गतिविधियां एवं भूमिका के विषय पर संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा बताया गया। अभिसरण से गरीबी दूर करने के प्रयास के लिये पारटीसिपेटरी असेसमेंट ऑफ एनटाईटिलमेंट (पीएई), एनटाईटिलमेंट एक्सेस प्लान (ईएपी), जीपी लेविल पावर्टी रिड्यूशन प्लान (व्हीपी–पीआरपी) बनाने में भूमिका को एसआरएलएम मण्डला जनपद पंचायत बीजाडांडी टीम के श्री साहब लाल सूर्यवंशी द्वारा समझाया गया।

संकाय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रजापति द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का परिचय दिया गया। जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठक प्रक्रिया के संबंध में संकाय सदस्य श्री पंकज राय द्वारा जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने का तरीके पर संकाय सदस्य श्री पंकज राय द्वारा चर्चा की गई। संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा ग्राम पंचायत की आय स्त्रोत व 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली के उपयोग से संबंधित प्रावधान बताये गये।

फेसलीटेटर के कार्य एवं दायित्व के संबंध में संकाय सदस्य श्री नीलेश कुमार राय द्वारा चर्चा की गई। डॉ. त्रिलोचन सिंह, संकाय सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का दस्तावेजीकरण को प्रारूप में माध्यम से समझाया गया।

सत्र समापन के अवसर पर उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं पर चर्चा की गई। चर्चा में इन्होंने ग्राम पंचायत और समूहों को मिल–जुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी। चर्चा के दौरान बताया कि जब एक दूसरे के साथ मिल कर कार्य करेंगे, योजना तैयार करेंगे तो योजना का प्रभावी क्रियान्यन भी अच्छा होगा।
संस्थान के सभी संकाय सदस्यों के साथ–साथ संकाय सदस्य श्री सज्जन सिंह, प्रोग्रामर श्री जय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री आशीष दुबे, सुश्री रमा विश्वकर्मा, कम्प्यूटर आपरेटर का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। सफलतापूर्वक सत्र आयोजित होने पर सत्र समन्वयक डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा सभी प्रतिभागियों, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, एसआरएलएम एवं संस्थान की टीम को संस्थान की आभार प्रकट करते हुये सत्र समापन किया गया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर) में ग्राम सभा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1 नागरिक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को सक्रिय करनाः–

ग्राम सभा को प्रस्तावित नागरिक चार्टर पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और प्रस्तावित सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। स्वास्थ्य व स्वच्छता, शिक्षा, पोषण पीने का पानी के क्षेत्रों में सेवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

2 सफल ग्राम सभा आयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले कदमः–

ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को औपचारिक और अनिवार्य रूप से समय पर सूचित किया जाना चाहिए। हालाकि, हम अपने अनुभवों के माध्यम से जानते हैं कि केवल औपचारिक अधिसूचना लोगों की भागीदारी सरपंच/अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता, उसकी कार्यशैली और पारस्परिक संबंध बनाने की उसकी कार्यशैली और पारस्परिक संबंध बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सरपंच/अध्यक्ष मिलनसार प्रकृति का है, अधिकारियों और लोगों के साथ अच्छी तरह से संवाद करते है और वह अपने व्यवहार में सहभागी और पारदर्शी भी लगते है तो सभी ग्रामीण ग्राम सभा में भाग लेंगे। ग्राम सभा को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैः–

2.1 औपचारिक अधिसूचनाः–

ग्राम सभा के आयोजन से पहले राज्य के मौजूदा नियमों के अनुसार नोटिस जारी करना जरूरी है। व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा की सूचना को ढोल बजाकर और पंचायत भवन, स्कूल और स्थानीय बाजार में नोटिस चिपकाकर भी प्रचारित किया जा सकता है।

- सभी मतदाताओं को निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले ग्राम सभ्ज्ञाकी सूचना अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।
- नोटिस में आवश्यक रूप से ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान, और कार्यसूची का उल्लेख होना चाहिए।

- ग्राम सभा का एजेंडा/कार्यसूची स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें।

2.2 सभी वर्गो के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनाः–

ग्राम विकास योजनाएँ तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कमजोर

वर्ग के लोगों के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। हमें ग्राम सभा की बैठक में उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करनी है और उन्हें अपनी जरूरतों और शिकायतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है।

उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य कमजोर वर्गो के निवास क्षेत्रों में ग्राम सभा के संचालन की जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3.3 विशेष ग्राम सभाः–

अभियान के दौरान व्यापक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष ग्राम सभा में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता सिटीजन चार्टर के संबंध में एक संक्षिप्त संरचित प्रस्तुति देंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर दी जा रही सेवाओं के संबंध में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा के समक्ष सार्वजनिक प्रकटीकरण/प्रस्तुति भी देना है। नियुक्त समन्वयक की जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ–साथ नागरिक चार्टर पर दी गई प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करेगा कि सेवाओं तक पहुँचने, सुपुर्दगी की समय सीमा, डिलीवरी प्रणाली आदि विधिवत कैप्चर कर लिया और दर्ज की गई है।

ग्राम सभा द्वारा नागरिक चार्टर का अनुमोदन दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए पसंदीदा/ सही तरीका है

लेकिन ऐंसे मामलों में जहां स्थानीय/राज्य प्रतिबंधों के कारण ग्राम सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिक चार्टर को जब भी स्थानीय परिस्थितियाँ अनुमति देती है, ग्राम सभा का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

पंकज राय
संकाय सदस्य

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन का असर काफी गहराता जा रहा है अमेरिका जैसे देश के एक भाग में जंगलों में आग और दूसरी तुर बाढ़ से उफनती नदियां। कभी चक्रवाती तूफान आ रहे है इस प्रकार विगत दशक में पर्यावरणीय घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब प्रकट होते जा रहे है और हमें जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने होगें ऐसी परिस्थितियों में ऊर्जा का रूपांतरण आज के समय की महती आवश्यकता है। वर्ष 2020 में तेजी से बढ़ते उत्सर्जन को दुनिया भर में खतरे की घंटी की गूंज की शक्ल में देखना होगा। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखना होगा। इसके लिए इस दशक में बहुत तेज उर्जा रूपांतरण महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में 62 देशों के बिजली के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया जो बिजली की मांग के 87 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है वर्ष 2021 में बिजली के क्षेत्र में छह माह में उत्सर्जन में वापस उछाल आया है, जो निम्न स्तर से बढ़ गया है जो चिंता का कारण है ज्यादातर बिजली की आवश्यकता पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, से 57 प्रतिशत पूरी हुई है लेकिन उत्सर्जन गहन कोयला बिजली से 43 प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पहली बार पवन और सौर ऊर्जा ने वैश्विक बिजली की दसवें हिस्से से ज्यादा उत्पन्न किया।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के कई देशों को सूखे का कई देशों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं बेहताशा गर्मी और कहीं कड़ाके की ठंड पडने लगी है। समुद्रो को जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है। इससे तटीय आबादी वाले शहरों के कई हिस्सों के डूबने का खतरा बना हुआ है। समतल इलाकों में फसल चक्र प्रभावित हुआ है। खराब मौसम से शक्कर, गेहूं सोयाबीन, मक्का, बादाम, शहद आदि की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है।

किसी भी देश ने अभी तक अपने बिजली क्षेत्र के लिये सही मायने में ग्रीन रिकवरी हासिल नही की हमें बिजली की उच्च मांग और कार्बन डायआक्साईड उत्सर्जन हासिल किया बिजली की बढ़ती मांग वाले देशों में भी ज्यादातर एशिया के देश है। जिनमें भारत, बांगलादेश, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान और वियतनाम शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में खाद्य सामग्री की कीमतों में इस अगस्त–सितम्बर में पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

अब खुद को बचाने के लिए हमें अपना ध्यान पर्यावरण को बचाने में लगाना होगा और गरीबों को सिर्फ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी होने के साथ पर्यावरणीय संदेश देकर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर इस विश्व कल्याणकारी कार्य में संलग्न होगा।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत निनौरा की कामधेनू गौशाला

जिला मुख्यालय उज्जैन से 12 किमी. इंदौर सड़क मार्ग पर ग्राम पंचायत निनौरा के ग्राम जूना निनौरा में कामधेनू उपयोजना (मनरेगा) के अंतर्गत निर्मित गौशाला जो शासन की मंशानुसार गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के मापदण्ड पर सर्वसुविधायुक्त एवं व्यवस्थित संचालन की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रबंधन का खिताब पाने योग्य एक आदर्श गौशाला का अनुकरणीय उदाहरण है।

ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री सोनू शर्मा के कार्यकाल में वर्ष 2017–18 में गौशाला निर्माण का संकल्प पारित कर समिति का गठन किया गया श्री शर्मा को गौसेवा करने की प्रेरणा सिंहस्थ–2016 में संतश्री टाटम्बरी सरकार से प्राप्त हुई तभी से संकल्प लेकर गौसेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया तथा इस कार्य को जुनून के रूप में लेकर न केवल गौशाला के निर्माण को मूर्त रूप में परिणित किया बल्कि उसका व्यवस्थित संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं ने आज तक सम्भाल रखी है। गौसेवा के प्रति श्री शर्मा का व्यक्तिगत लगाव यहाँ आगर देखने समझने वालों के लिए प्रेरणादायी है। विगत दिनों मुझे भी जाने का अवसर मिला।

योजना के लिए ग्राम पंचायत को गौशाला निर्माण हेतु लगभग 8 बीघा जमीन आवंटित की गई जिस पर 76.75 लाख की लागत से सर्वसुविधायुक्त एवं सुचारू ढंग से संचालित एक आदर्श गौशाला के तौर पर देखा जा सकता है।

गौशाला में गायों के पीने के पानी हेतु बोरवेल की व्यवस्था है जिसमें सालभर पर्याप्त पानी रहता है परिसर की खाली 2.5 बीघा भूमि पर नेफेड वाजरे की चरी उगाई जाती है जिसके 7 कटाव आते है जिसे गौशाला में क्रय की गई मशीन में काटकर गेहूं के सूखे भूसे के साथ मिलाकर व्यवस्थित रूप में गायों को खिलाया जाता है।

सालभर लगने वाले सूखे भूसे का चापड़ पशु आहर के स्टाक सुरक्षित रखने की समुचित पर्याप्त व्यवस्था की निगरानी श्री शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है।

ग्राम पंचायत के पंच श्री गणेश पांचाल ने बताया कि वर्तमान में यहां मालवी, मारवाडी, गिर एवं देशी नस्ल की गायों को रखा गया है दुधारू गायों के बछड़ो के लिए पृथक से रखने की व्यवस्था है।

प्रतिमाह पशुपालन विभाग के क्षेत्र अधिकारी द्वारा यथोचित उपचार टीकारण, स्वास्थ्य परीक्षण व देखरेख की जाती है।

ग्राम के श्री गोविंद पोरवाल द्वारा बताया कि गौशाल में गायों की देखभाल उनके रख–रखाव, पानी, चारे पशु आहर की जिम्मेदारी हेतु श्री गोविंद शर्मा एवं 2 अन्य कर्मचारी जो नियमित साफ–सफाई हेतु नियुक्त है। श्री सोनू शर्मा ने अवगत कराया कि गाय के धार्मिक महत्व को नये सिरे से कहने की जरूरत नही है केवल व्यवस्था बनाकर गौसेवा के प्रति आम ग्रामीणजनों को गौशाला से जोड़ने के लिए जागृति लाने की जरूरत है योजना को नवाचार के रूप में लागू किया गया है।

गौशाला परिसर में 17.00 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है जिसमें ग्राम के 1000 परिवारों का पंजीयन किया गया है उनके परिवार में होने वाले विभिन्न पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह, मुण्डन संस्कार, श्राद्ध, मुत्युभोज, विवाह, तथा दीपावली पर गोर्वधन गाय पूजा के अवसर को जोडकर गोपालन के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होगा।

गौशाला में गोबर गैस सयंत्र की स्थापना का कार्य भी इसी वर्ष से प्रगति पर है, जिसमें गायों से प्राप्त गोबर गौमूत्र का उपयोग गोबर गैस निर्माण में किया जावेगा गोबर गैस से परिसर की ऊर्जा जरूरतों जैसे सामुदायिक भवन में भोजन बनाने, प्रकाश व्यवस्था आदि में किया जा सकेगा जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी साथ में प्रकाश हेतु बिजली अपनी होगी तथा शेष मटेरियल को खाद के रूप में उपयोग किया जावेगा।

इस तरह से ग्राम पंचायत निनौरा द्वारा सफलतापूर्वक गौशाला का प्रबंधन, संचालन एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विमलशंकर नागर,
संकाय सदस्य

चिकित्सा की प्राचीन पद्धतिः आयुर्वेद

स्वास्थ्य के संबंध में हमारे देश की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद है । आयु एवं स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान होने के साथ ही आयुर्वेद प्राकृतिक साधनों के प्रयोग पर बल देता है । रोगों से बचाव का आयुर्वेदिक पक्ष मुख्यतः दिनचर्या एवं ऋतुचर्या पर आधारित है, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित सरल उपायों के द्वारा व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकता है । कोविड–19 कोरोना के संकट के दौरान स्वयं के देखभाल और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिये हम निम्नलिखित उपायों को कर सकते हैं।

सामान्य उपाय :–

1. पूरे दिन केवल गरम पानी पीना चाहिए ।
2. योगासन, प्रणायाम एवं ध्यान करें ।
3. लहसुन, हल्दी, जीरा धनिया एवं कालीमिर्च जैसे मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें।

रोग प्रतिरोध क्षमता बढाने हेतु आयुर्वेदिक उपाय :–

1. तुलसी के पत्ते, दालचीनी, कालीमिर्च, अदरक, (सूखा अदरक या सौंठ) एवं मुनक्का, गुड से बनी हर्बल चाय या काढा दिन में एक से दो बार पीना चाहए ।
2. गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें ।

सामान्य आयुर्वेदिक उपाय :–

1. सुबह एवं शाम तिल या नारियल का तेल या शुद्ध देशी गाय का घी नाक के दोनों छिद्रों में लगाये ।
2. खांसी या गले में खरास के लिये दिन में एक बार कम से कम पुदीने के पत्ते/अजवाईन डालकर पानी की भाप लेना चाहिये ।
3. खांसी होने पर रात को सोते समय अनार के दाने खाकर सोना चाहिये ।
4. खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड या शहद मिलाकर दिन में दो या तीन बार लेना चाहिये ।
5. हर्बल चाय या काढा खाली पेट नहीं पीना चाहिये, स्वल्पाहार के बाद ही पीना चाहिये।
6. तेज मिर्च मसालेदार एवं तला हुआ भोजन वर्जित है ।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

स्व–सहायता समूह की जलसखी

जलसखी बनाकर 15 गावों में झुरकी पेयजल योजना से संचालित योजना से जलकर की शत् प्रतिशत राशि वसूली के साथ– समूह लाभ भी कमा रहा है।

जिला सिवनी के जनपद पंचायत घंसौर में जिला जल निगम सिवनी द्वारा झुरकी पेयजल योजना के तहत सूखा प्रभावित 15 ग्रामों में 1236 नल कनेक्शन प्रदान ग्रामीणों को पेयजल की सतत् आपूर्ति की जा रही हैं। जलसखियों द्वारा घर–घर जाकर जलकर का संग्रहण कार्य किया जा रहा प्राप्त जलकर राशि प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि सहायता समूहों की जल सखियों को देकर उनकी आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है।

माह जुलाई 2021 तक जलसखियों द्वारा कुल 511252 (पांच लाख ग्यारह हजार दौ सौ बवान रूपये) संग्रहित किया गया जिसमें जल सखियों को प्रोत्साहन राशि 105167 (एक लाख पांच हजार एक सौ सडठ्ठ रूपये) की प्राप्त हुये।

जिला जल निगम सिवनी द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति व जलसखियों को आत्म निर्भर बनाने में झुरकी पेयजल योजना को सहायता समूह को जलसखी बनाकर शत् प्रतिशत जलकर वसूल किया।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जिला सिवनी के जनपद पंचायत घंसौर में गठित स्व सहायता समूह की जलसखी बनाकर मध्यप्रदेश जल निगम सिवनी अन्तर्गत संचालित बहुउद्देश्यी झुरकी ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना घंसौर विकासखण्ड के लिये वरदान साबित हो रही है। इस योजना से एक ओर 15 ग्रामों मे पेयजल प्राप्त हो रहा हैं। दूसरी ओर इस योजना में जलकर बसूली में स्व सहायता समूहों की देदीयो से अनुबंध कर समूह की महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

जलसखियों का मानना हैं कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं म.प्र. जल निगम क अभिसरण से हम जलसखी बनकर परिवार के पारिवारिक दायित्वों के निर्वाहन कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो रहे है यह नवाचार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में हो ताकि जेण्डर असामनता समाप्त हो एवं महिला सशक्तीकरण के प्रयासे लगातार ग्रामीण क्षेत्र में हो।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

मनरेगा से निर्मित गौशाला

बुंदेलखंड क्षेत्र के 100 किसानो से खेती संबंधी तीन समस्याए पूछिए ,तो 90 किसान ऐरा प्रथा का उल्लेख जरुर करेंगे। ऐरा प्रथा की गूंज बिधानसभा में भीसुनाई दी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेताओ जन प्रतिनिधियों ने भी ऐरा प्रथा के नुकसान से बारम्बार परिचित कराया है।

जाहिर है ऐरा प्रथा में मबेशी आवारा घूमते रहते है। और खड़ी फसलो को पूर्णत नष्ट करते रहते है। परिणाम यह होता है कि लाखो हेक्टेयर भूमि या तोखाली पडी रहती है या फिर आवारा पशुओ के भरोसे रहती है। किसानो को रत जगा करना पड़ता है जरा सी चूकपूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। और किसान मुंशी प्रेमचंद की कहानी का किरदार निभाता नजर अ आता है। खेत के चारो तरफ तार लगाने के बाद भी फसल सुरक्षित नही होती है। आवारा मवेशी नुकसान कर ही देते है। इस समस्या से निजात दिलाने का एकमात्र उपाय सामाजिक जागरूकता है। परन्तु इस दिशा में किये गये प्रयासों का परिणाम शून्य रहा है। दुसरे उपाय के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला निर्माण का निर्णय लिया।

ताकि आवारा मवेशियों की समस्या से निजात दिलाई जा सके। इसी श्रंखला में दमोह जिला में कुल 21 गौशालाओ की स्वीक्रति मनरेगा मद से की गयी । प्रत्येक गौशाला की लागत 27 लाख है। समस्त गौशालाए विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है जनपद पंचायत बतियागढ़ के ग्राम सिंगपुर, शहजाद्पुरा और सेडारा में गौशालाओ का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

प्रत्येक गौशाला में 100 पशुओ को सर्व सुविधायुक्त आश्रय मिलेगा । जिसमे चारा पेयजल और भूसा चारे की व्यबस्था रहेगी । चारा और पानी हेतु लम्बी लम्बी नांदो का निर्माण किया गया ताकिएक साथ , सभी पशु पानी या चारा भूसा का सेवन कर सके । पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु नियमित तोर पर पशु चिकित्सक द्वारा गौशाला का भ्रमण किया जाएगा। भूसा चारा के भण्डारण हेतु विशाल गोदाम का निर्माण किया गया है। जिसमे बर्ष भर, चारा भूसा रखा जा सकेगा। रात्रि में प्रयाप्त प्रकाश हेतु निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है भविष्य में गोबर गैस से बिजली पैदा की जायेगी द्यनवनिर्मित गौशालाओ में खुले परिसर का इंतजाम किया गया है। ताकि पशु आराम से विचरण कर सके ।

गौशाला के समीप ही दो एकड क्षेत्र में विशाल चारागाह का विकास किया जा रहा है। पशुओ की निरंतर देखरेख हेतु पशुरक्षको को दायित्व सोपा जाएगा। पशुरक्षक के निवास हेतु क्वार्टर का निर्माण किया गया है। गोबर और मूत्र की निकासी हेतु उचित प्रबंध किया गया है। शीघ्र ही गौशालाए अपने सर्वोत्तम स्वरूप में संचालित होने लगेंगी और बुंदेलखंड के किसान भाइयो को ऐरा प्रथा से मुक्ति मिल जायेगी।

झनक सिंह कुहकुटे
संकाय सदस्य

खैरी ग्राम पंचायत में वरदान बना स्टापडेम निर्माण

गर्मियों में अधिकांशतः पानी का स्तर कम हो जाता है। जिसकी वजह से पानी का स्तर कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी पशुओ के लिए पानी की व्यवस्था कृषि कार्य की सिचाई की जरूरत पूरी नही हो पाती है। जिसके लिए ग्रामीणों को बहुत परेशान होना पडता है, इसलिए हमारे सरकार के द्वारा जलसंवर्धन हेतु बहुत सारी योजनाओ का संचालन किया जाता है। इन्हीं योजनाओं में मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जलसंवर्धन हेतु कई ग्रामीण क्षेत्रों में चेक/स्टॉपडेम, खेत तालाब, कंटूरट्रेंच, टैंक का निर्माण कार्य कराये जा रहे है। ताकि पानी का निम्नस्तर में कुछ सुधार हो सके, क्योंकि आज पानी की समस्या एक सर्वव्यापी समस्या बन गई है। इसी समस्या के सुधार हेतु यह विभिन्न योजनाएं संचालित है।

इसी कड़ी में हम बुंदेलखंड की छतरपुर जिला की जनपद राजनगर की ग्राम पंचायत खैरीकी बात कर रहे है। जिसमें सरपंच श्रीमति प्रियंका पाण्डेय एवं सचिव श्री आशा रामपाल है। जिसकी कुल जनसंख्या 3150, कुल मतदाता 1876 जिसमें कुल महिला 895 एवं पुरूष 981 है।

इस ग्राम पंचायत में पहले पानी की गंभीर समस्या थी। जिस वजह से ग्रामीण लोगों को पानी के लिए गांव से दूर जाना पड़ता था। जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती थी। सभी कूपों का पानी खत्म हो जाता था। कृषि कार्य हेतु पानी भी नही रहता था। मवेशियों को पीने योग्य पानी पर्याप्त नही हो पाता था एवं लोगों के निस्तार के लिए भी काफी समस्या से जूझना पडता था। फिर एक दिन गॉव के लोगो ने गॉव के सरपंच सचिव के समक्ष ग्रामसभा में यह प्रस्ताव रखा कि जलसंवर्धन पर कार्य होना चाहिए। ताकि लोगो को जल की समस्या से न जूझना पड़े। इसके लिए खैरी ग्राम पंचायत में सभी लोगों की सहमति से मनरेगा योजना अंतर्गत जलस्तर बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य किए गये।

इन्हीं कार्यो में से एक स्टॉपडेम निर्माण कार्य कराया गया। स्टॉपडेम निमार्ण स्वीकृत वर्ष 2019–20 में स्वीकृतराशि 15–15 लाख के तीन स्ट्रक्चर आगरा खेरा नाला में बनाये गये है। जिसमें लगभग 87 परिवार लाभान्वित हुए है। जिसमें लगभग 50 हेक्टेयर कृषि भूमि सिचिंत हुई है और लगभग 100 कूपों का जल स्तर बढ़ा है। मवेशियों के लिए पीने का पानी की सुविधा हुई है। लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में नदी में पानी रोका गया है। जिससे अब पानी पर्याप्त लगभग 3 महीने तक नाला में बना रहता है।

ऐसे ही सराहनीय कार्य सदैव सभी ग्राम पंचायतो में हो और सभी योजनाओं का लाभ सभी ग्राम पंचायतों को मिले और सभी समस्याओं को हल होता रहे। इसी आशा की किरण के साथ..........

लवली मिश्रा,
संकाय सदस्य

जिला नरसिंहपुर ग्राम पंचायत आमगॉव बड़ा की सफलता की कहानी

जिला नरसिंहपुर की दूरी जिला जबलपुर से 90 कि मी है एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 225 कि मी की दूरी पर स्थित है । जिला नरसिंहपुर स्टेट हाईवे नं. 22 पर स्थित है। जिला नरसिंहपुर जनपद पंचायत करेली मे ग्राम पंचायत आमगॉव बडा स्थित है ग्राम पंचायत आमगॉव बडा मे विभिन्न उत्कृष्ट कार्य कराए गए है, जो निम्नलिखित है ।

हाट बाजार निर्माण

ग्राम पंचायत क्षेत्र मे हाट बाजार का निर्माण वर्ष 2016.17 मे किया गया है। जिसमें शेड और आठ दुकानें जिला पंचायत द्वारा निर्मित की गई 10 दुकानों का निर्माण पंचायत निधि से किया गया है। जिसमें सप्ताह मे शनिवार एवं बुधवार को बाजार लगता है, जो कि ग्राम पंचायत की स्वःआय का स्त्रोत है।

शौचालय निर्माण

ग्राम पंचायत आमगॉव बडा पूर्णतः बाहय शौच मुक्त है। ग्राम पंचायत मे स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 406 शौचालय का निर्माण हितग्राहियों के घरों मे किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम के सभी घरों मे शौचालय उपलब्ध है।

नल जल

ग्राम पंचायत पूर्व से नल जल योजना संचालित थी। ईसी कम मे प्रत्येक घर मे पानी पहुंचाने की दिशा मे 04 अतिरिक्त बोरवेल करवा कर घरों में पानी पहुंचाया गया। वर्तमान में करीब 400 घरों मे नल जल योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाया जा रहा है। जो कि ग्राम को बाहय शौच मुक्त रखने मे काफी महत्वपूर्ण है।

पीएम आवास

ग्राम पंचायत आमगांव बडा मे पूर्व से भी आवासों का निर्माण किया है। परन्तु वर्ष 2019–20 के मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 393 पूर्ण आवासों का निर्माण किया जा चुका है। शेष 09 आवासों का कार्य प्रगतिरत है।

पंचायत भवन गार्डन व ग्राउंड

ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूर्व मे कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां बच्चे खेल खेले और ना ही कोई पार्क था। पंचायत ने वर्ष 2017 मे पंचायत भवन परिसर मे गार्डन का निर्माण किया, जिसमें भांति भांति के पेड़ पौधे लगाए और साथ ही एक खेल मैदान भी बनाया गया है। वर्तमान मे खेल मैदान मे बच्चे खेलते है और ग्राम के लोग मार्निग वॅाक के लिए गार्डन का प्रयोग करते है।

बाजार मे मूत्रालय का निर्माण

ग्राम में जो हाट बाजार है, उसके अतिरिक्त भी बाजार काफी बडा है। जिसके लिए हाट बाजार का मूत्रालय कुछ दूरी पर है। इसके लिए पंचायत ने दो अलग अलग स्थानों पर मूत्रालयों का निर्माण कराकर ग्राम के लोगों की समस्या का समाधान किया है।

कचरा प्रबंधन

ग्राम मे प्रत्येक दिवस 08 सफाई कर्मियो द्वारा ग्राम की सफाई की जाती है और घरों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित किया जाता है। इस अपशिष्ट कचरे को एकत्रित करने के लिए ग्राम मे प्रत्येक दिन ट्रेक्टर टाली के द्वारा कचरा एकत्रित किया जाता है।

नाडेप

ग्राम पंचायत में कचरा एकत्रित कर ग्राम के बाहर डम्पिंग ग्राउंड मे डाला जाता है। ग्राम के कुछ विशेष स्थानों पर पंचायत के द्वारा नाडेप का निर्माण किया गया है। ग्राम मे 06 नाडेप का निर्माण किया गया है, जो कचरा एकत्रित करने का केन्द्र है।

पानी की निकासी

ग्राम पंचायत आमगांव बडा के द्वारा छोटी नालियों को एक नाले मे मिलाया ताकि गंदा पानी नाले के द्वारा ग्राम से बाहर निकल सके। इस प्रकार से ग्राम पंचायत में 04 नालों का निर्माण पंचायत द्वारा किया गया है।

मुनादी

ग्राम पंचायत मे भाासन द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए माईक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर को कचरा प्रबंधन गाडी के साथ रख दिया जाता है, जिससे सम्पूर्ण ग्राम मे सूचनाएं प्रसारित हो जाती है और समय–समय पर ग्राम कोटवारों के द्वारा माईक से मुनादी करवाई जाती है।

मेधावी पुरूस्कार

ग्राम में 26 जनवरी के दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मे भाग लेने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम की शालाओं मे अग्रणी रहने वाले बच्चों को भी पंचायत द्वारा विशेष पुरूस्कार दिए जाते है। ग्राम की विभिन्न धर्मिक समितियों के द्वारा इन मेधावी छा़त्रो को अलग अलग पुरूस्कार प्रदान किए जाते है।

इस प्रकार से ग्राम पंचायत आमगॉव बडा द्वारा कराए गए कार्य काफी सराहनीय प्रयास है, जिससे इन उपलब्धियों ने ग्राम पंचायत को एक उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दिलाया है।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य